



अज अदालतसहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),सिवाना

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. प्रभुराम पुत्र राजीरामजी.जाति कलबी चौधरी निवासी ग्राम करमावास		1. नवाराम नारायणराम जाति चौधरी निवासी करमावास
2. तिलोकाराम पुत्र राजीराम जाति चौधरी निवासी करमावास		2. दरगाराम पुत्र नारायणराम जाति चौधरी निवासी करमावास
3. रूपाराम पुत्र राजीराम जाति चौधरी निवासी करमावास		3. श्रीमान उप पंजीयन/तहसीलदार समदडी
4. श्रामाराम पुत्र राजीराम जाति चौधरी निवासी करमावास		4. श्रीमान सहायक अभियंता जो वि वि नि लि समदडी
		5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी

किस्म मुकदमा.....धारा 53,88,188 RTA

मु0नं0 07 / 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25.01.2022	<p>वादी प्रभुराम की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री जयप्रकाश रामदेव द्वारा प्रतिवादी नवाराम वगैरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 53,88,188 RTA का पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 04.03.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (कुसुमलता चौहान) सहायक कलक्टर, सिवाना </p>	
25.02.22	<p>वादीगण पक्ष के निवेदन पर पत्रावली आज तलब की गई।</p> <p>वादीगण पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्ष के मध्य लेख अदालत की आज्ञा के राजीनामा ले गया है अब वादीगण इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं।</p> <p>अतः वादीगण द्वारा नया वाद प्रस्तुत करने के लक्ष्य के सुरक्षित रखे लिये इस वाद को परिचय राजीनामा विद्रोह किया जावे।</p> <p>अतः वादीगण के निवेदन पर वादीगण के नया वाद पेश प्रस्तुत करने के लक्ष्य के सुरक्षित रखे लिये इस वाद को परिचय राजीनामा विद्रोह किया जावे।</p> <p>पत्रावली दिनांक 25.02.22 को तलब किया गया है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी सिवाना </p>	